संख्या-2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 22 फरवरी, 2024**

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर उसे प्रतिकूल रूप में लिया जाये तथा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाए ।

2- इस संबंध में यह संज्ञान में आया है कि शासन स्तर एवं विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न चयन समिति की बैठकों में शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2023 में वर्णित व्यवस्था सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 की उक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।